मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2000

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2000

क्र. सी-6-9(ए)-99-3-एक.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उक्त नियमों के नियम-9 के उपनियम (1), नियम 12 के उपनियम (2) तथा नियम 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशु चिकित्सा, मछलीपालन, महिला तथा बाल विकास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण तथा ग्रामोद्योग विभाग के ऐसे तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी सेवकों के बारे में, जिनकी सेवाएं मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 52 की उपधारा (1) के खण्ड (बारह) के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के नियंत्रण के अधीन दी गई हैं, निलंबित करने या लघु शास्तियां, जैसा कि उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) में यथाविनिर्दिष्ट हैं, अधिरोपित करने के लिए सशक्त करते हैं और ऐसा सरकारी सेवक मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध संबंधित विभाग के प्रमुख को अपील कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2000

क्र. सी-6-9(ए)-99-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी.-6-9 (ए)-99-3-एक, दिनांक 21 फरवरी 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 21st February 2000

No. C-6-9(A)-99-3-Ek.—Without prejudice to the generality of the powers conferred under the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, and in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9, sub-rule (2) of Rule 12 and Rule 24 of the said rules, the Governor of Madhya Pradesh, hereby empowers the Chief Executive Officer of the concerned Zila Panchayat to suspend or to impose minor penalities as specified in clause (i) to clause (iv) of Rule 10 of said rules, in respect of such class III and class IV Government servants of the department of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare, Agriculture, Panchayat and Rural Development, Veterinary, Fisheries, Women and Child Development, Public Health and Family Welfare, Medical Education, School Education, Social Welfare and Rural Industries whose services have been placed by the State Government under the control of Panchayats under the provisions of clause (xii) of sub-section (1) of Section 52 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) and such Government servant may prefer an appeal against the order of the Chief Executive Officer to the head of the concerned department.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Dy. Secy.